

न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा, जिला-जालोर

वादी / वादीगण जगनाथ पुत्र राणा कौम कृष्णी निवासी - बरधर लक्ष्मील रानीवाड़ा	बनाम प्रतिवादी / प्रतिवादीगण अशानी कुंजी महेश्वर कौशिक जालिमन सेकरी निवासी बरधर लक्ष्मील रानीवाड़ा
---	--

किस्म मुकदमा :- धारा 5, 188 राज. का.स. अधिनियम 1955

दावा संख्या :- 23/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26-8-2020	वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 5, 188 राजस्थान कायकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आपन्दा दिनांक 01.10.2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा	
1-10-2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी से रकम 32 से 34 के समन वाद तामिल उफ्त व प्रति. से रकम 1 से 30 द्वारा तामिल कुनिन्दा रिपोर्ट अनुसार समन लेने से बेकार बिमा गया। प्रति. सं. 31 का समन अदम तामिल हुए। श्रीमान ए. ए. साहब सुरभालय से बाहर होने से पत्रावली आपन्दा दिनांक 28.10.2020 को पेश हो।	
28-10-2020	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। वादी को रकम-रकम कर गीत वार आज दिनांक जारी। वादी व वादी की मोर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का वाद अदम राजरी अदम पैरवी ध्वंसीज किया जाता है। पत्रावली को माल श्रमार् होकर अदम से कम हो। सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर	

